संख्या-6/2023/3141/77-6-2022-6002(099)/8/2022

प्रेषक,

जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2023**

विषय:- इन्वेस्ट यू0पी0 हेतु रू0 4,16,67,000/- की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्रांक-इन्वेस्ट यू0पी0/16186/2022-23 दिनांक 09.12.2022 द्वारा इन्वेस्ट यू0पी0 हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 करोड (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 4,16,67,000.00 (रूपये चार करोड़ सोलह लाख सडसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-03 "इन्वेस्ट यू0पी0"-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू. 25.00 करोड (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 4,16,67,000.00 (रूपये चार करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि चतुर्थ किश्त के रूप में आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि को आहरित कर इन्वेस्ट यू0पी0 को उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0 शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
3. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।
7. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक/अन्य किसी खाते में नही रखा जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा रखा जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,16,67,000 (रुपये चार करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852801020300 "इन्वेस्ट-यू.पी." **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-130-X-2022-23 दिनांक 09.01.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

जय वीर सिह

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-6/2023/3141(1)/77-6-2022-6002(099)/8/2022, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0 शासन।

4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को पत्रांक-इन्वेस्ट यूपी/16186/2022-23/लेखा दिनांक 09.12.2022 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4

9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

10. नियोजन अनुभाग-1/4

11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय वीर सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।